रमेश कुमार सुथार एडवोकेट बनाम तहसीलदार भीनमाल प्रकरण सं० 01/2018

24.1.2018 अपीलांट व तहसीलदार अनुपस्थित। तहसीलदार भीनमाल का जवाब जरिए ई मेल प्राप्त हुआ।

तहसीलदार भीनमाल ने जवाब में कथन किया कि आवेदित सूचना बाबत तहसील कार्यालय के पत्रांक/रीडर/सू.अ.अ./18/4 दिनांक 02.01.2018 के द्वारा अपीलांट को लिखित में अवगत करवा दिया गया।

हमने तहसीलदार भीनमाल के द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मनन किया। अपीलांट द्वारा अपने आवेदन पत्र में 7 बिन्दुओ पर सूचना चाही गई। हम तहसीलदार भीनमाल द्वारा आवेदित सूचना बाबत दिए गए पत्रांक/रीडर/सू.अ.अ./18/4 दिनांक 02.01.2018 के प्रत्युतर से संतुष्ट नहीं है।

तहसीलदार भीनमाल का दायित्व था कि जो आवेदित सूचना के संबध में जो अभिलेख उपलब्ध है उसकी प्रति अपीलांट को उपलब्ध करवा दी जानी थी। अगर किसी आवेदित सूचना की सूची संधारित की जाती है तो उसी अनुरूप अपीलांट को सूची उपलब्ध करवाई जानी चाहिये।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है।तहसीलदार भीनमाल को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट द्वारा पोस्टल आर्डर संख्या 40 एफ 729793 के संलग्न आवेदित 7 बिन्दुओ की सूचना अपीलांट को 15 दिवस की अवधि में निशुल्कः उपलब्ध करवाई जावे।

अगर कोई सूचना/सूची उपलब्ध नहीं है तो उसके संबंध में विस्तृत तथ्यो का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अपीलांट को सूचित किया जावे।

अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

sd/-

(बी.एल.कोठारी)

प्रथम अपीलीय अधिकारी

(जिला कलेक्टर)

जालोर